(15) (24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3307/2018/रीवा/भू0रा0 विरूद्व आदेश दिनांक 21–5–2018 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सभांग सतना का प्रकरण 08/अपील/ 2017–18

---

1. बीरेन्द्र लुक्कड़ तनय नथमल लुक्कड़
निवासी जलगांव महाराष्ट्र द्वारा मुख्तार आम
सरदार रणजीत सिंह तनय जागीर सिंह
निवासी गोलपार्क रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. श्रीमती हरदीप कौर पत्नी श्री सरदार रणजीत सिंह
निवासी गोलपार्क रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

श्री महेन्द्र कुमार मोहनानी तनय वासुदेव मोहनानी
निवासी सिन्धी कालोनी रानी तालाब रीवा तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

श्री नागेन्द्र मणि त्रिपाठी, अभिभाषक, आवेदकगण

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 5/2/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा सभांग रीवा के आदेश दिनांक 21–5–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नजूल प्लाट कमांक 3511/4 रकवा 59750 वर्गफिट का अंश रकवा 1200 वर्गफिट का विकय अनुबंध आवेदक कं 1 द्वारा अनावेदक के हक में कराया गया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय में नामांतरण स्वीकार किया गया जबकि अनावेदक ने उक्त प्रश्नाधीन भूमि को वसीयत

के आधार पर प्राप्त किया व वसीयत के माध्यम से वादग्रस्त रकवा साहित अन्य रकवा का नामांतरण आवेदक के हक में विचारण न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया। जिस रकवे में से 1200 वर्गफिट भूमि आवेदक द्वारा श्रीमती हरदीप कौर को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से विकय की। किन्तु अनावेदक के नाम पर विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण प्रमाणित किये जाने से कोई रकवा शेष न होने के कारण उक्त केंता के नाम नामांतरण नहीं हो सका। इसी कारण अनावेदक के हक में हुये नामांतरण आदेश दिनांक 14–2–2011 को निरस्त करने बावत अपील नजूल अधिकारी रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। नजूल अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–9–2017 से अपील निरस्त की। नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 21–5–2018 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जिस मुख्त्यारनामा प्रस्तुत किया है उसकी अवधि समाप्त हो गयी है। पुनः कोई अधिकार पत्र आवेदक ने पेश नहीं किया है। व्यवहार न्यायालय प्रकरण कमांक 47ए/2011 में पारित आदेश दिनांक 05–9–2014 से अनावेदक के कब्जे को बेदखल न करने के आदेश हैं। विचारण न्यायालय ने विधिवत प्रकिया अपनाकर नामांतरण आदेश पारित किया है, जिसे नजूल अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने भी परीक्षण विचारोपरांत सही पाया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 21–5–2018 स्थिर रखा जाता है।

5/2/19

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर